न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद– 73/2016

वीवी अंगूरी वनाम राज्य

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी वीवी अंगुरी के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक 251–1 दिनांक 13.02.2013 द्वारा वाद संख्या– 152/12–13 के आदेश दिनांक 04.03.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा के न्यायालय में दाखिल किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत पत्र– 3226 दिनांक– 11.08.2015 में वर्णित संशोधित निदेश कंडिका 10/10.4 तथा 10/10.7 के आलोक में वाद हस्तानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी का कहना है कि ऑगनबाड़ी केन्द्र संख्या– 73 मछुआ टोली पंचायत सिटानाबाद उत्तरी परियोजना, सिमरी बख्तियारपुर जिला सहरसा में ऑगनबाड़ी सहायिका के पद पर कार्यरत रही है। दिनांक 15.12.2012 को 03.30 बजे अपराह्न में श्रीमती रजनी गुप्ता बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सौरबाजार द्वारा सिमरी बख्यितायारपुर परियोजना के सिटानाबाद उत्तरी पंचायत अन्तर्गत ऑगनबाड़ी केन्द्र मछुआ टोली केन्द्र संख्या 73 की जॉच की गयी। उनके जॉच के क्रम में ऑगनबाड़ी सहायिका को अनुपस्थित पायी। अनुपस्थित रहने के कारण अपीलार्थी को चयन मुक्ति की अनुशंसा की गयी। उक्त आधार पर जिला प्रोग्राम पदाधिकरी ने अपने पत्रांक 251–1 दिनांक 13.02.2013 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। दिनांक 20.02.2013 को सुनवाई की तिथि निर्धारित किया गया। अपीलार्थी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा दिनांक 04.03.2013 के द्वारा वाद संख्या 152/12–13 में आदेश पारित किया कि जॉच प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरण को देखते हुए सहायिका द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषप्रद प्रतीत नहीं होता, सहायिका को चयन मुक्त किया जाता है।

अपीलार्थी का आगे कहना है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), सहरसा द्वारा पारित आदेश वास्तविक तथ्यों, न्यायिक विवेचना के बिल्कुल पड़े है। ऑगनबाड़ी केन्द्र संख्या– 73 मछुआ टोला सिमरी बख्तियारपुर, बाल विकास परियोजना सिमरी बख्तियारपुर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, लेकिन वाद का प्रतिवेदन अनुशंसा सौरबाजार बाल विकास परियोजना पदाधिकरी द्वारा किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त वाद की सुनवाई के समक्ष बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर का कोई लिखित मंतव्य या अनुशंसा सहायिका के खिलाफ नहीं पाया गया। आगे कथन है ऑगनबाड़ी केन्द्र संख्या 73 के संचालन में विभाग द्वारा निर्धारित स्थल जहॉ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सौरबाजार द्वारा दिनांक 15.12.2012 को जॉच किया गया कही जाती है, सहायिका अनुपस्थित पायी गई। वास्तविक केन्द्र स्थल नहीं होगा वह सेविका के निजी आवास के संबंध में होगा। यह कि ऑगनबाड़ी केन्द्र मछुआ टोली केन्द्र संख्या 73 पंचायत सिटानाबाद उत्तरी परियोजना सिमरी बख्तियारपुर वार्ड नं0– 8 के अन्तर्गत कयामउद्धीन द्वारा आवंटित बंगला में संचालित होता चला आ रहा था। यह केन्द्र पोषक क्षेत्र भी रहा है न कि सेविका के मनमर्जी बिना विभाग की अनुशंसा द्वारा निर्धारित सेविका के निजी आवासीय गृह स्थल पर केन्द्र का संचालन।

अपीलार्थी का आगे कहना है ऑगनबाड़ी सेविका विना विभागीय अनुमति पाये अगस्त 2012 से केन्द्र संख्या–73 को वार्ड संख्या– 11 स्थित अपने मर्जी से अपने गृह में संचालित अपने मनमर्जी से कर रही है जो पोषक क्षेत्र नहीं है, वह स्थल पूर्व स्थापित केन्द्र से एक किलोमीटर दूर है, यह स्थल विभाग के जानकारी से पड़े होगा। ऑगनबाड़ी सेविका द्वारा केन्द्र स्थल परिवर्तित कर व्यक्तिगत लाभ एवं ऑगनबाड़ी संचालन मनमर्जी का दुरूपयोग उसके सार्गिद पुत्र द्वारा किया जाता है। बच्चो के विकास एवं लाभार्थी को भाड़ी नुकसान पहुँचाया जाता है। अपीलार्थी को अपने कर्त्तव्य के निर्वहन से भयोवहन करने के लिए अपराधिक बल का प्रयोग किया जाना वो व्यवधान उत्पन्न सेविका व उनके पुत्र द्वारा किया गया है, जिसकी सूचना लिखित विभाग के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर एंव जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), सहरसा/ थानाध्यक्ष सिमरी बख्तियारपुर को पूर्व में यथोचित कार्रवाही एवं जाँच करने को प्रेषित किया गया, जो सभी पदाधिकारी के संचिका में लंबित है, लेकिन कोई यथोचित कार्यवाही नहीं किया जाना सहायिका के प्रति उदासीनता का घोतक रहा। अपने स्पष्टीकरण में इन विन्दुओं को रखा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा संतोषप्रद प्रतीत नहीं होता है, कह कर अस्वीकृत कर दिया गया। अपीलार्थी अपने कर्तव्य पालन विधि पूर्वक पालन करती आ रही है, षडयंत्र के तहत गलत आरोप से विभूषित कर चयन मुक्त किया गया है।

अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा दिनांक 04.03.2013 के आदेश को निरस्त कर न्यायोचित आदेश पारित करने की याचना की गयी।

राज्य की ओर से सरकारी वकील का कथन है उक्त केन्द्र निदेशानुसार बाल विकास परियोजना सौरबाजार के द्वारा किया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सौरबाजार के प्रतिवेदन के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, (आई०सी०डी०एस०) सहरसा के द्वारा आदेश पारित किया गया, पारित आदेश न्यायोचित है, अपील खारीज योग्य है।

उभय पक्षो को सुना। अभिलेख तथा संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। चूँकि THR वितरण के जाँच हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा टीम गठित की गयी थी, और टीम के जाँच के दौरान् सहायिका को केन्द्र से अनुपस्थित पाया गया, जबकि THR वितरण हेतु सभी ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर निश्चित तिथि होना निर्धारित है, फिर भी सहायिका केन्द्र पर अनुपस्थित पायी गयी और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, (आई०सी०डी०एस०) द्वारा उनके कारण पृच्छा प्राप्त कर सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०) द्वारा भी इस तथ्य की पुष्टि की गयी।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, (आई०सी०डी०एस०) द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है।

अतः प्रस्तुत अपील वाद खारीज (Dismiss) किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।
5.3.15
जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

5.3.15
जिला पदाधिकारी
सहरसा।